न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 137/2018

वादीया :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. राजुराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवंशी नि0 रेपड़ावास, जिला—पाली, (राजस्थान)		1. गीता देवी पत्नि राजुराम 2. रमेश पुत्र पेमाराम तहसील सोजत, जिला पाली। 3. भपली पत्नि पेमाराम जातियान मेघवाल, नि0 रेपड़ावास, तह0 सोजत 4. तहसीलदार(भूमि—धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज0काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता मय वादी उपस्थित।
2. शक्तिदान, प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित ।

—: निर्णय :— दिनांक —10/8/22

अधिवक्ता मय वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध को राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रेपड़ावास, प0ह0 रेपड़ावास, भू0अ0निरी0 चाडवास, तह0 सोजत के वर्तमान खाता नंबर 333 के खसरा नंबर 342 रकबा 0.5600 है0 किस्म बा0दो0 की कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त का आता है, जो हिस्से माफिक वादी एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने कृषि जोत की भूमि पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त कृषि भूमि सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड में अविभाजित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के बीच मौखिक बंटवाड़ा नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के वादी के कब्जे काश्त की भूमि को बदनियति पूर्वक हडपना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी से रंजिश रखते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी द्वारा उपजाउ की गई कृषि जोत की भूमि से बेदखल कर उस पर कब्जा करना चाहते है तथा अपने हिस्से से अधिक कृषि जोत की भूमि पर प्रतिवादी कब्जा करने की नियत रखते है। वादी अपने 1/3 हिस्से पर हजारों रूपये खर्च कर खाद, मिटटी डालकर अपने हिस्से की कृषि भूमि को उपजाउ बनाई है तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 वादग्रस्त कृषि भूमि पर से वादी को बेदखल कर उस पर कब्जा करना चाहते है तथा अपने हिस्से से अधिक कृषि जोत की भूमि पर प्रतिवादी कब्जा करने की नियत रखते है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु कर देने पर बमुकाम ग्राम रेपड़ावास तह0 सोजत में उत्पन्न हुआ, जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद पत्र मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर हस्ब ईश्तदुआ

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

वाद पत्र डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 3 इस आशय की सादिर किये जाने की कि वादस्थ आराजीयात की उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी का 1/3 हिस्से की कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड में अलग से तरमीम किया जावे एवं वादीनी के हिस्से की कृषि भूमि का लगान भी अलग से मुकर्रर किया जावे। स्थायी निषेधाज्ञा के जरिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को पाबंद फरमाया जाने की कि वादस्थ कृषि भूमि पर वादी के 1/3 हिस्से के कब्जे काश्त के उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी न तो स्वयं करे एवं न ही अपने नौकरों, एजेण्टों आदि से करावें, आदि से करावें, पाबंद किये जाने की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 04 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 3 दिनांक 03.12.2020 को उपस्थित हुए, इकबालिया जबाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के पद संख्या 1 से 3 सही होना स्वीकार किया है वाद पत्र के पद संख्या 4 से 8 कानूनी होना बताया है, तथा वाद पत्र के पद संख्या 9 की ईस्तदुआ स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 03 के हक हिस्से की कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने की ईश्तदुआ पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण विभाजन का होने से तथा प्रति0 संख्या 3 इकबालिया ज0दा0 पेश कर बंटवाड़ा किये जाने में सहमति जाहिर करने से उपस्थित उभय पक्ष की सहमति के आधार पर प्रा0 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 इस अमर सादिर की की गई। सरहद मौजा रेपड़ावास के खसरा नंबर 342 रकबा 0.5600 है0 किस्म बा0दो0 की भूमि का पक्षकारानो में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहरीर पत्रांक/कोर्ट/2021/1131 दिनांक 02.10.2021 द्वारा लिखा जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा चाहे जाने पर तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2022/1785 दिनांक 24.06.2022 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिकी किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा रेपड़ावास के खसरा नंबर 342 रकबा 0.5600 है0 किस्म बा0दो0 की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	राजुराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	342	0.2800	बा0दो0	1.12 रू
2	गीता देवी पत्नि राजुराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	342/1	0.1680	बा0दो0	0.67 रू
3	कुकी पुत्री मिसराम 1/2 हिस्सा, रमेश पुत्र पेमाराम 1/4 हिस्सा, भपली पत्नि पेमाराम 1/2 हिस्सा जाति मेघवाल, सा0 देह खातेदार	342/2	0.1120	बा0दो0	0.45 रू
	योग:–	03	0.5600	बा0दो0	2.24 रू

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज)

प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 10/8/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6—7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़ आर0ए0एस0

वादीया :—

1. राजुराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवंशी नि0 रेपड़ावास, जिला—पाली, (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. गीता देवी पत्नि राजुराम
2. रमेश पुत्र पेमाराम तहसील सोजत, जिला पाली।
3. भपली पत्नि पेमाराम जातियान मेघवाल, नि0 रेपड़ावास, तह0 सोजत
4. तहसीलदार(भूमि—धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज0काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :— 137/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री गजेन्द्र परिहार एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा रेपड़ावास के खसरा नंबर 342 रकबा 0.5600 है0 किस्म बा0दो0 की भूमि का विभाजन प्रस्ताव/बंटवाडा मय नजरी नक्शा के आधार पर खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है —

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	राजुराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	342	0.2800	बा0दो0	1.12 रू
2	गीता देवी पत्नि राजुराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	342/1	0.1680	बा0दो0	0.67 रू
3	कुकी पुत्री मिसराम 1/2 हिस्सा, रमेश पुत्र पेमाराम 1/4 हिस्सा, भपली पत्नि पेमाराम 1/2 हिस्सा जाति मेघवाल, सा0 देह खातेदार	342/2	0.1120	बा0दो0	0.45 रू
	योग:—	03	0.5600	बा0दो0	2.24 रू

प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मीजान --　　　　　　　　　　मुबलिग --　　　　　　　　　　बाबत --

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10/8/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			